महत्वपूर्ण

8

वन एवं ग्राम्य विकास शाखा
उत्तराखण्ड शासन
देहरादून

संख्याः 1760 /पी03–14/यू.आर.आर.डी.ए./09 दिनांकः 14 दिसम्बर, 2009

कार्यालय ज्ञाप

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज–VIII के अन्तर्गत 250–499 तक जनसंख्या वाली असंयोजित बसावटों को बारहमासी सम्पर्क मार्गों से संयोजित करने हेतु जनपदवार संलग्न परिशिष्ट 'क' के अनुसार 171 मार्गों, अनुमानित लम्बाई 1277.00 किमी0 का चयन कोर नेटवर्क के अनुसार Comprehensive New Connectivity Priority List (CNCPL) से किया गया है। इन मार्गों के विस्तृत सर्वेक्षण, डी0पी0आर0 एवं पैकेज गठन तथा मार्गों के समरेखण में पड़ने वाली वनभूमि हस्तान्तरण के प्रस्ताव तैयार कराकर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार को वन भूमि हस्तान्तरण हेतु प्रेषित किये जाने के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदत्त की जाती है। तत्पश्चात् इन मार्गों के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार से प्राप्त होने पर पृथक से जारी की जायेगी।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(ओम प्रकाश)
सचिव,
ग्राम्य विकास विभाग

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य अभियन्ता स्तर–1, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, गढ़वाल क्षेत्र, पौड़ी एवं कुमाऊ क्षेत्र, अल्मोड़ा।
3. मण्डल अधिकारी एवं वन संरक्षक, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, इन्दिरानगर, देहरादून।
4. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
6. समस्त अधिशासी अभियन्ता, पी0आई0यू0 (पी0एम0जी0एस0वाई0), उत्तराखण्ड।

संलग्नकः यथोपरि।

सचिव,
ग्राम्य विकास विभाग